स्विरचकी ई-खरीद संबंधी

टेंडर दस्तावेज

भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

संगणक केंद्र

ईस्ट ब्लॉक-10, आर.के. पुरम

नई दिल्ली-110066

Website: www.mospi.gov.in

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	टेंडर आमंत्रण सूचना	3
2.	बोलीदाताओं के लिए अनुदेश	4
3.	अपेक्षित योग्यता	9
4.	संविदा की सामान्य शर्ते (जीसीसी)	11
5.	कार्य का क्षेत्र	19
6.	सामग्री का बिल	19
7.	तकनीकी विशिष्टताएं	20
8.	अनुबंध-क के अनुसार अनुपालन शीट	21
	अनुबंध-ख के अनुसार प्रस्तावित उत्पाद	22
9.	अनुबंध-ग के अनुसार योग्यता मापदंड के लिए जांच सूची	23
10.	अनुबंध-घ के अनुसार टेंडर स्वीकृति पत्र	25
11.	अनुबंध-ड. के अनुसार ओईएम प्रमाण-पत्र	27
12.	अनुबंध-च के अनुसार अग्रिम धन जमा का अग्रेषण-पत्र	29
13.	अनुबंध-छ के अनुसार कार्यनिष्पादन प्रतिभूति संबंधी बैंक गारंटी का फार्मेट	30
14.	अनुबंध-ज के अनुसार करार का फार्मेट	33
15.	अनुबंध-झ के अनुसार वाणिज्यिक दर का फार्मेट	36
16.	बोलीदाताओं को विशेष निर्देश	37

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
संगणक केंद्र
ईस्ट ब्लॉक-10, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110066

दिनांक 6/**11/2015**

<u>ई-टेंडर आमंत्रण सूचना</u>

संगणक केंद्र सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित तकनीकी विशिष्टियों और कार्य-क्षेत्र के अनुसार कंप्यूटर तंत्र के ओ ई एम अथवा ओ ई एम के प्राधिकृत वितरकों/व्याऔपारियों सेCISCO WS-C2960 24TC-L Compatible with existing CISCO 2851 Router/CISCO catalyst 3750X Series Distributation Switch की आपूर्ति के लिए विज्ञापित ई-टेंडर आमंत्रित करता है। टेंडर प्रस्तुत करने का तरीका दो बोली प्रणाली में यूआरएल https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ई-टेंडर (ऑनलाइन) है।

2. टेंडर दस्तावेज https://eprocure.gov.in/eprocure/appऔर www.mospi.gov.in पर उपलब्ध है।
3. टेंडर https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। हाथ से भेजी गई बोलियां स्वीकार्य नहीं होंगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे टेंडर दस्तावेज में दिए गए बोलियों को ऑनलाइन ई-प्रस्तुतीकरण संबंधी अनुदेशों का पालन करें।
4. अग्रिम धन जमा (बोली प्रतिभूति) : 50,000/- रुपए (पचास हजार रुपए)
5. टेंडर प्रकाशित करने की तारीख और समय : 23-11-2015,
6. बोली पूर्व बैठक की तारीख और समय : 30-11-2015, 11.00 बजे
7. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय : 14-12-2015, 12.00 बजे
8. तकनीकी बोली खोलने की तारीख और समय : 14-12-2015, 15.30 बजे
9. वित्तीय बोली खोलने की तारीख और समय : अलग से सूचित की जाएगी।
10. बोली की विधिमान्यता : टेंडर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 180 दिन

(मंजू शर्मा)
अनुभाग अधिकारी
टेलीफोन नंबर. 26103956
Fax: 26160652

प्रतिलिपि: श्री आर पी ठाकुर, उप निदेशक (वेब) को इस अनुरोध के साथ कि टेडर दस्तालवेज को सी पी पी औरMoSPI बेवसाइट पर तत्का(ल अपलोड किया जाए।

2. बोलीदाताओं के लिए अनुदेश

बोली दस्तावेजों के इस खंड में क्रेता की अपेक्षाओं के अनुसार ऑनलाइन बोली का उत्तर देने तैयार करने हेतु बोलीदाताओं के लिए आवश्यक सूचना दी गई है। इसमें बोलियों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने, खोलने, मूल्यांकन करने और संविदा सौंपने से संबंधित सूचना भी दी गई है। बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे विधिमान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों का उपयोग करते हुए केंद्रीय लोक खरीद (सीपीपी) पर अपनी बोलियों को इलेक्ट्रोनिक रूप में सॉफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करें। नीचे दिए गए अनुदेश सीपीपी पोर्टल पर बोली संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने और अपनी बोलियों तैयार करने में बोलीदाताओं को सहयोग देने के लिए हैं।

2.1. पंजीकरण

(i) बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे होम पेज पर उपलब्ध विकल्प “Click here to Enroll” का प्रयोग करके केंद्रीय लोक खरीद पोर्टल के ई-खरीद मॉड्यूल पर अपना नामांकन करें। सीपीपी पोर्टल पर नामांकन नि:शुल्क है।

(ii) नामांकन / पंजीकरण के दौरान बोलीदाताओं को चाहिए कि वे विधिमान्य ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित यथार्थ/सही सूचना दें। ठेकेदारों / बोलीदाताओं के साथ सभी पत्राचार दी गई ई-मेल आईडी के माध्यम से सीधे किया जाएगा।

(iii) नामांकन की प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाएगी कि वे किसी विशिष्ट यूजरनेम का चयन करें और अपने खाते को एक पासवर्ड दें।

(iv) ई-टेंडर प्रस्तुत करने के लिए विधिमान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र होना (हस्ताक्षर ‘की’ के प्रयोग सहित श्रेणी II या श्रेणी III प्रमाण-पत्र) अनिवार्य है, जिसे ई-टोकन / स्मार्ट कार्ड पर सीसीए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त एसआईएफबाई/टीसीएस/ एन कोड / ई-मुद्रा या किसी प्रमाणन प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।

(v) ई-टेंडरिंग के लिए सीपीपी पोर्टल पर नामांकन करने के पश्चात बोलीदाता अपने प्रोफाइल सहित अपना विधिमान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र दर्ज करें।

(vi) बोलीदाता द्वारा केवल एक विधिमान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र दर्ज किया जाना चाहिए। बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र अन्य लोगों को उधार नहीं दिए हैं, जिससे उनका दुरुपयोग किया जा सकता है और बोलीदाता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।

(vii) इसके पश्चात बोलीदाता अपने प्रयोक्ता आईडी / पासवर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र / ई-टोकन के पासवर्ड को दर्ज करके सुरक्षित लॉगइन के माध्यम से उस साइट में लॉग कर सकते हैं।

2.2. बोलियां तैयार करना :

(i) बोली तैयार करने के लिए बोलीदाता साइट पर उपलब्ध प्रकाशित टेंडर सूची से टेंडर को खोजेगा और संपूर्ण टेंडर दस्तावेज को डाउनलोड करेगा और अपनी बोलियां प्रस्तुत करने से पहले शुद्धि-पत्र यदि कोई प्रकाशित किए गए हों को भी ध्यान में रखेगा। टेंडर दस्तावेज का चयन करने के बाद उसे बोलीदाताओं के खाते के "My Favourite" फोल्डर में ले जाएगा,जहां से टेंडर दस्तावेज के सभी विवरण देखे जा सकते हैं।

(ii) बोलीदाता टेंडर दस्तावेज को सावधानी से पढेगा, ताकि वह बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों को भलीभांति समझ सके। बोलीदाता उन लिफाफों की संख्या भी नोट करेगा, जिनमें बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। वह प्रत्येक दस्तावेज के नाम और उनकी विषय-वस्तु सहित दस्तावेजों की संख्या को भी नोट करेगा, जिन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। यदि इनसे विचलन किया जाता है तो इससे बोली रद्द की जा सकती है।

(iii) यदि कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो उसे टेंडर की साइट के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है या लिखित रूप में टेंडर दस्तावेज में दिए गए संपर्क के विवरणों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) बोलीदाता टेंडर दस्तावेज / पीडीएफ / एक्सल /आरएआर / जिप / डीडब्ल्यूएफ फार्मेटों की अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तुत किए जाने वाले बोली दस्तावेजों को पहले से तैयार रखेगा। यदि एक से अधिक दस्तावेज हों तो जिप फार्मेट का उपयोग करके उन्हें एक साथ मिलाया जा सकता है।

(v) बोलीदाता अनुभव प्रमाण-पत्रों, वित्तीय रिपोर्टों, पैन, टिन, सेवा कर, बैट, पंजीकरण प्रमाण-पत्र और अन्य संगत विवरण आदि जैसे दस्तावेज "My Space" विकल्प के अधीन अग्रिम रूप से अद्यतन कर सकता है, जिन्हें टेंडर की अपेक्षाओं के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे बोलियों के अपलोड समय को कम करके बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को तेज करने में सुविधा होगी।

2.3 बोली प्रस्तुत करना :

केवल ऑनलाइन बोलियां https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर प्रस्तुत करनी होंगी। टेंडर दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली) में होंगी। हाथ से भेजी गई बोलियां स्वीकार्य नहीं होंगी। बोलियां ऑनलाइन प्रस्तुत करते समय बोलीदाता शर्तों

(सीपीपी पोर्टल की शर्तों) को पढ़ेगा और उन्हें स्वीकार करेगा, ताकि वह अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ सके। बोलीदाताओं को सतर्क किया जाता है कि वित्तीय बोली को अन्यत्र अपलोड करना अर्थात् दो लिफाफों से भिन्न तरीके से प्रस्तुत करने से टेंडर रद्द कर दिया जाएगा।

2.3.1. **अग्रिम धन जमा प्रस्तुत करना :** अग्रिम धन जमा का मांग ड्राफ्ट / बैंक का चैक निम्नलिखित पते पर बोली की अंतिम तारीख को या बोलियां बंद होने से पहले प्रशासन यूनिट, संगणक केंद्र सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में रखे गए टेंडर बॉक्स में डाले जाने चाहिए।

अवर सचिव
प्रशासनयूनिट,
संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)
ईस्ट ब्लॉक-10 आर.के. पुरम
नई दिल्ली 110066

2.3.2. **तकनीकी बोलियां प्रस्तुत करना :** बोलीदाता को चाहिए कि वह तकनीकी बोली के भाग के रूप में निम्नलिखित संपूर्ण दस्तावेज की स्कैन की गई प्रति अपलोड करे।

(क) दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यालय और सहायता केंद्र होने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज, जहां से बिक्री के बाद सहायता दी जाएगी।

(ख) पिछले तीन वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और आयकर विवरणी दाखिल की जाएगी। यदि पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 2014-15 का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध न हो तो बोलीदाता द्वारा चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अनिंतम तुलन-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) अनुभव के सबूत के रूप में क्रय आवेशों की प्रतियां।

(घ) ओईएम द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र (मूल रूप में,) जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो बोलीदाता इस मद का प्राधिकृत वितरक है।

(ड.) ओईएम से ऑनसाइट संबंधी वारंटी प्रमाण-पत्र ।

(च) विक्रय एवं सेवा कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र / पैन / टिन / टीएएन / बैट की प्रतियां, जो भी लागू हों।

(छ) फर्म / कंपनी के पंजीकरण / निगमन की प्रति

(ज) अनुबंध 'क' के अनुसार विधिवत भरी गई और हस्ताक्षरित तकनीकी अनुपालन सीट

(झ) अनुबंध 'ख' के अनुसार विधिवत भरा गया और हस्ताक्षरित प्रस्तावित उत्पाद का विवरण

(ञ) अनुबंध 'ग' के अनुसार विधिवत भरी गई और हस्ताक्षरित जांच सूची

(ट) अनुबंध 'घ' के अनुसार विधिवत भरा गया और हस्ताक्षरित टेंडर स्वीकृति पत्र।

(ठ) उत्पाद डेटा सीट, प्रस्तावित उत्पादों की पुस्तिका आदि।

(ड) अग्रिम धन जमा की प्रति

(ढ) 100/-रूपये स्टोम्पी पेपर पर स्विवयं प्रमाणन (अनुबंध-ञ)

2.3.3. वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करना :

कीमत बोली (अनुबंध-I) के अनुसार वाणिज्यिक बोली की स्कैन की गई प्रति) केवल ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चहिए।

2.4. बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख :

बोलियां ई-टेंडर आमंत्रण सूचना में दिए गए नियत समय और तारीख के अंदर यूआरएलhttps://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

2.5. संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोलियां प्रस्तुत करने की इस अंतिम तारीख को बढ़ा सकता है। यदि आवश्यक हुआ तो इसे वेबसाइट www.mospi.gov.in और https://eprocure.gov.in/eprocure/app में उपयुक्त रूप से अधि सूचित किया जाएगा।

2.6. संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रस्ताव को पूरा या आंशिक स्वीकार कर सकता है अथवा उसे तत्काल रद्द कर सकता है।

2.7. बोली प्रक्रिया टेंडर दस्तावेज में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। यदि बोली की प्रक्रिया / पात्रता के मापदंड के बारे में कोई स्पष्टीकरण चाहें तो बोलीदाता बोली पूर्व बैठक के दौरान यह स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोली पूर्व बैठक के बाद मांगे गए स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.8 संगणक केन्द्रा (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) बिना कोई कारण बताये टेंडर की तारीख बढ़ाने और किसी भी स्थि ति में टेंडर को रद्द करने का अधिकार रखता है।

2.9. अन्य अनुदेश :

(i) प्रत्येक बोलीदाता अपने नाम में या भागीदार के रूप में केवल एक टेंडर प्रस्तुत करेगा।

(ii) बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह टेंडर दस्तावेज में दिए गए सभी अनुदेशों, फार्मों, शर्तों की जांच करे। टेंडर दस्तावेज में मांगी गई सभी सूचना न दे पाना या सब प्रकार से

टेंडर दस्तावेज का पूरा उत्तर टेंडर प्रस्तुत करने में न देना टेंडरदाता के जोखिम पर होगा और इससे उसकी बोली रद्द की जासकती है।

(iii) बोलीदाता टेंडर दस्तावेज में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, कुछ मिटाएगा नहीं या कोई विलोपन नहीं करेगा या नहीं करवाएगा।

(iv) बोलीदाता सभी दस्तावेजों के पृष्ठों की जांच करेगा। यदि किसी पृष्ठ पर किसी विसंगति पाई जाती है या कोई पृष्ठ न हो तो बोलीदाता संगणक केंद्र, (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) को सूचित करेगा।

(v) यदि बोलीदाता को टेंडर दस्तावेज में दिए गए किसी शब्द के अर्थ के बारे में कोई शंका हो तो वह बोली पूर्व बैठक की विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पहले स्पष्टीकरण मांग सकता है। किसी भी ऐसे स्पष्टीकरण के साथ-साथ उसके पूरे विवरण, जिसका स्पष्टीकरण मांगा गया था। सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.gov.in में भी प्रकाशित की जाएगी।

(vi) संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा दिए गए किसी लिखित स्पष्टीकरण के सिवाय, जिसे संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा जारी किए गए टेंडर दस्तावेज के परिवर्धन में स्पष्ट रूप से बताया गया हो, संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा लिखित या मौखिक सूचना, प्रस्तुतीकरण या व्याख्या इस संविदा के अधीन संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) पर आबद्ध कर या बंधन नहीं होगा।

3. अपेक्षित योग्यता-

3.1. बोलीदाता CISCO Switch का ओईएम या प्राधिकृत वितरक / व्यापारी होना चाहिए।

3.2. **कार्यालय और सेवा केंद्र :** बोलीदाताओं का दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपना प्रधान कार्यालय / शाखा कार्यालय और सेवा केंद्र अवश्य होना चाहिए और उसे पंजीकरण तथा कराधान से संबंधित सरकार के मापदण्डों के अनुरूप होना चाहिए।

3.3. **वित्तीय प्रस्थिति :** 31 मार्च को समाप्त पिछले तीन वर्ष (अर्थात् 2012-13, 2013-14 और 2014-15) के दौरान उसके औसत वार्षिक वित्तीय कुल कारोबार प्रत्येक वर्ष में कम से कम दस करोड़ रुपए होने चाहिए।

3.4. **अनुभव :** उसे केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सरकारी क्षेत्रक उपक्रम/ स्वायत्त निकायों में पिछले तीन वर्ष के दौरान इसी प्रकार के कार्य अर्थात् आपूर्ति, संस्थापन, परीक्षण और संचालन का 3 (तीन) परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए।

3.5. **ओईएम प्राधिकार** : यदि बोलीदाता ओईएम न हों तो उन्हें उल्लिखित मदों की आपूर्ति, संस्थापन, संचालन, सेवाओं आदि के लिए विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए। वे ओईएम से प्राधिकार पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करेंगे, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो कि बोलीदाता इस मद के प्राधिकृत वितरक / व्यापारी हैं।

3.6. बोलीदाता निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा।

(क) दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यालय और सहायता केंद्र होने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेज, जहां से बिक्री के बाद सहायता दी जाएगी।

(ख) पिछले तीन वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और आयकर विवरणी दाखिल की जाएगी। यदि पिछले वित्त वर्ष अर्थात् 2014-15 का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध न हो तो बोलीदाता द्वारा चार्टेड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अनिंतम तुलन-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ग) अनुभव के सबूत के रूप में क्रय आदेशों की प्रतियां।

(घ) ओईएम द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र (मूल रूप में,) जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो बोलीदाता इस मद का प्राधिकृत वितरक है।

(ड.) ओईएम से ऑनसाइट संबंधी वारंटी प्रमाण-पत्र ।

(च) विक्रय एवं सेवा कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र / पैन / टिन / टीएएन / बैट की प्रतियां, जो भी लागू हों।

(छ) फर्म / कंपनी के पंजीकरण / निगमन की प्रति

(ज) अनुबंध 'क' के अनुसार विधिवत भरी गई और हस्ताक्षरित तकनीकी अनुपालन सीट

(झ) अनुबंध 'ख' के अनुसार विधिवत भरा गया और हस्ताक्षरित प्रस्तावित उत्पाद का विवरण

(ञ) अनुबंध 'ग' के अनुसार विधिवत भरी गई और हस्ताक्षरित जांच सूची

(ट) अनुबंध 'घ' के अनुसार विधिवत भरा गया और हस्ताक्षरित टेंडर स्वीकृति पत्र।

(ठ) उत्पाद डेटा सीट, प्रस्तावित उत्पादों की पुस्तिका आदि।

(ड) अग्रिम धन जमा की प्रति

4. संविदा की सामान्य शर्तें-

4.1. टेंडर https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.2. दरें संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) में ब्लेड तंत्र और सहायक यंत्रों की आपूर्ति तथा संस्थापन के लिए दी जानी चाहिए और इसके संबंध में पांच वर्ष की व्यापक ऑनसाइट उत्पाद वारंटी भी दी जानी चाहिए। आंशिक बोली की अनुमति नहीं दी जाती है।

4.3. बोली की विधिमान्यता :

(i) प्रस्तुत टेंडर अंतिम तारीख से 180 दिन तक विधिमान्य होगा।

(ii) संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) बोलीदाता की सहमति से विधिमान्यता की अवधि बढ़ाने के लिए कह सकता है। ऐसे अनुरोध और उसका उत्तर केवल लिखित रूप में होगा। बोलीदाता ऐसे अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। इस कारण उसकी अग्रिम धन जमा जब्त नहीं की जाएगी। यदि कोई बोलीदाता अवधि बढ़ाने संबंधी अनुरोध को स्वीकार करता है तो उसे अपनी बोली में इस हद तक ही आशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.4. अग्रिम धन जमा (ईएमडी):

(i) 50,000 (पचास हजार रुपए) की अग्रिम धन जमा बैंकर्स चैक या मांग ड्राफ्ट के रूप में होगा, जो किसी वाणिज्यिक / राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पक्ष में जारी किया गया हो और नई दिल्ली में देय हो। यह बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को या उससे पहले "अवर सचिव, संगणक केंद्र सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ईस्ट ब्लॉक-10, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066" के पास पहुंच जाना चाहिए, ऐसा न होने पर यह प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा । लेकिन बोलीदाताओं को ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने के साथ अग्रिम धन जमा की स्कैन की गई प्रति संलग्न करनी होगी। अग्रिम धन जमा के बिना प्रस्तुत की गई बोलियां रद्द समझी जाएगी। अग्रिम धन जमा नकद / चैक के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। अग्रिम धन जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होता है।

(ii) टेंडर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सभी असफल बोलीदाताओं को अग्रिम धन जमा लौटा दी जाएगी और उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा (पीएसडी) प्रस्तुत करने के बाद सफल बोलीदाता को अग्रिम धन जमा लौटा दी जाएगी।

(iii) यदि बोलीदाता बोली में विनिर्दिष्ट बोली की विधिमान्य अवधि के दौरान बोली वापस लेता है तो उसकी अग्रिम धन जमा जब्त कर दी जाएगी।

4.5. संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा तय की गई संविदा के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

4.6. **टेंडर दस्तावेज के खंडों का निर्वचन**:

यदि इस टेंडर दस्तावेज के किसी खंड के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह/ विवाद हो तो उप महादेनिदेशक, संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) के द्वारा किया गया उन खंडों का निर्वचन अंतिम होगा और सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

4.7. बोली पूर्व बैठक दिनांक-----------के 11 बजे सम्मेलन कक्ष, लेबल-2, संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) में आयोजित की जाएगी।

4.8. बोलियां खोलना और उनका मूल्यांकन करना :

(क) तकनीकी बोलियां टेंडर दस्तावेज में समय और तारीख पर ऑनलाइन खुल जाएंगी। बोलीदाता द्वारा अपलोड किए गए सभी विवरणों, दस्तावेजों, प्रमाण-पत्रों, मांग ड्राफ्ट आदि का सत्यापन किया जाएगा और तकनीकी मूल्यांकन के लिए उन्हें डाउनलोड किया जाएगा।

(ख) बोलीदाता बोली खोलने के नियत समय पर अपना लॉगइन आईडी, पासवर्ड के माध्यम से संबंधित स्थानों का लॉगइन करके बोली खोलने की प्रक्रिया को देख सकता है।

(ग) तकनीकी बोली का विनिर्दिष्ट मापदंड / मानदंड के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा और तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त बोलीदाताओं की पहचान की जाएगी।

(घ) तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त बोलीदाताओं की ही कीमत बोली मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन खोली जाएंगी।

4.9. संविदा सौंपे जाने के लिए संविदा सौंपे जाने का मापदंड :

(क) संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) ऐसे सफल बोलीदाताओं को संविदा सौंपेगा, जिनकी बोली को पर्याप्त रूप से उत्तरदायी, तकनीकी रूप से अनुकूल और न्यूनतम दर की दर से सर्वोत्तम मूल्यांकित बोली के रूप में तय किया गया हो। न्यूनतम दर (एल-1) का मूल्यांकन वाणिज्यिक बोली फार्मेट (अनुबंध-I) के अनुसार किया जाएगा।

(ख) सफल बोलीदाता से अपेक्षा की जाएगी कि वह अदायगी की शर्तों के अनुसार वेतन और लेखाधिकारी, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय के पक्ष में स्वीकार्य फार्म (अनुबंध-छ) में किसी राष्ट्रीयकृत/वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में

आदेश के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत की रकम के संबंध में (प्रस्ताव-पत्र) प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा।

(ग) उपर्युक्त खंडों की अपेक्षाओं का अनुपालन न कर सकने वाले सफल बोलीदाता के पास पर्याप्त आधार होगा या उसे सौंपा गया कार्य-निष्प्रभावी हो जाएगा और उसकी कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर दी जाएगी।

(घ) सुरक्षा के कारणों की वजह से सरकारी खरीद हेतु देश में निर्मित इलेक्ट्ानिक सामान को वरीयता दी जाएगी। सरकारी अधिसूचना सं. 8(78)/2010- IPHW दिनांक 10.2.2012 और उसके पश्चाीत् किए गए संशोधन/स्पंष्टी/करण के दिशा निर्देशों का पालन सरकारी खरीद में किया जाएगा। बोलीकर्ता को 100/-रू के स्टािम पेपर पर वचनबद्धता देनी होगी जिसमें इस श्रेणी में आने वाली स्व0देशी कीमत का जोड़ (बी ओ एम के आधार पर) तथा वरीयता प्राप्ता करने का उल्ले ख होगा। यदि झूठी सूचना दी जाती है तो बोलीकर्ताओं को सूचीकरण रद्द कर दिया जाएगा और ई एम डी से वंचित कर दिया जाएगा। जो बोलीकर्ता यह वचनबद्धता नहीं देंगे , उन्हेंख इस वरीयता को प्राप्तय करने के योग्य नहीं माना जाएगा।

तकनीकी रूप से योग्य सभी बोलियों में से न्यू नतम उधृत मूल्य को L-1 का नाम दिया जाएगा। यदि दो या अधिक तकनीकी रूप से योग्यल बोलीकर्ता L-1 श्रेणी में आते हैं तो , बोली उस बोलीकर्ता को दे दी जाएगी जिसने turnkey/system Integration Project के लिए अधिक स्वीदेशी कीमत जोड़ी होगी।

(ङ) संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) को यह अधिकार होगा कि वह संविदा को एक या एक से अधिक टेंडर दाताओं को आंशिक रूप से या पूर्णतः सौंप सकता है।

4.10. अदायगी की शर्तें : 100%

(i) आपूर्ति, संस्थापन, कनफिगुरेशन, संचालन और प्रचालन प्रशिक्षण के बाद टेंडर दस्ता वेज के अनुसार टी ई सी द्वारा संतोषजनक पाए जाने पर 100% प्रतिशत की अदायगी ।

4.11 परिसमाप्ति क्षति :

यदि नियत समय के अंदर उपष्कर / कार्य करने में बिलंब किया जाता है / उसे पूरा नहीं किया जाता है / उनकी सुपुर्दगी नहीं की जाती है तो संविदा के मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से दंड लगाया जाएगा, जो अधिकतम आदेश के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत तक होगा।

4.12. किसी बोली को स्वीकार करने और किसी अथवा सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार :

(i) संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि वह न्यूनतम या किसी बोली को स्वीकार करे और वह किसी भी

समय बोलीदाताओं को लिखित नोटिस देकर टेंडर प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है।

(ii) संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) उस स्थिति में भी संविदा को समाप्त कर सकता है, यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार किसी भी विभागों / संस्थाओं / स्थानीय निकायों / नगर पालिकाओं / सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों आदि में से किसी के द्वारा पहले काली सूची में रखा गया है।

(iii) अग्रिम धन जमा रहित बोलियों को तत्काल रद्द किया जाएगा।

(iv) यदि "तकनीकी बोली" में कीमत का उल्लेख किया जाता है तो इससे बोली रद्द की जा सकती है।

4.13. चूक के कारण संविदा समाप्त किया जाना :

संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) संविदा भंग के लिए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपूर्तिकर्ता को चूक का लिखित नोटिस भेजकर पूरे या आंशिक संविदा को समाप्त कर सकता है:

i. यदि आपूर्तिकर्ता संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर या संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा बढ़ाए गए समय के अंदर सेवाएं प्रदान नहीं कर पाता है / चूक में सुधार नहीं कर पाता है।

ii. यदि आपूर्तिकर्ता इस संविदा के अधीन किसी अन्य दायित्व का निष्पादन नहीं कर पाता है।

4.14. अग्रिम धन जमा / प्रतिभूति जमा को जब्त किया जाना :

क. यदि सफल बोलीदाता कार्य करने से इनकार कर देता है / क्रय आदेश को सात दिन के अंदर स्वीकार नहीं कर पाता है तो अग्रिम धन जमा जब्त कर दिया जाएगा।

ख. यदि बोलीदाता टेंडर को अंतिम रूप दिए जाने से पहले / बाद में टेंडर को वापस ले लेता है तो अग्रिम धन जमा जब्त कर दिया जाएगा।

ग. यदि सफल बोलीदाता संविदा का परित्याग कर देता है तो अग्रिम धन जब्त कर दिया जाएगा।

घ. संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा घटिया कार्य-निष्पादन करने / करार के किसी खंड में फेर-बदल करने या चयनित बोलीदाता के किसी खराब कृत्य के कारण संविदा को समाप्त करता है तो अग्रिम धन जमा जब्त कर दिया जाएगा।

4.15. बोली का रद्द किया जाना :

(i) बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह बोलीदस्तावेज में उल्लिखित सभी अनुदेशों, फार्मेटों, शर्तों और कार्य के क्षेत्र की जांच करे। बोली दस्तावेज के अनुसार अपेक्षित सभी सूचना नहीं दे पाने या ऐसी बोली प्रस्तुत करने जो बोली दस्तावेज में उल्लिखित पर्याप्त उत्तरों को सब प्रकार से पूरा नहीं करता हो तो बोली रद्द कर दी जाएगी। इस बोली दस्तावेज के निर्वचन / स्पष्टीकरण के संबंध में और इस बोली दस्तावेज से संबंधित किसी मामले के संबंध में संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) का निर्णय अंतिम होगा।

(ii) तकनीकी बोली में कीमतों का उल्लेख नहीं किया जाएगा और यदि "तकनीकी बोली" में कीमत का उल्लेख किया जाता है तो बोली रद्द की जा सकती है।

(iii) ऐसी बोली को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा, जिसके साथ अग्रिम धन जमा नहीं भेजा गया हो।

(iv) बोलीदाता को बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट योग्यता / पात्रता के मापदंड और विश्वसनीयता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर बोली को रद्द कर दिया जाएगा।

(v) बट्टा, यदि कोई हो, उल्लिखित कीमतों में मिला दिया जाना चाहिए। यदि बोलीदाता इस शर्त का पालन नहीं करता है तो बोली रद्द कर दी जाएगी।

(vi) विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) फैक्स / टेलेक्स / फोटो कॉपी के माध्यम से प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.16. काली सूची में रखना :

सरकार / सरकारी क्षेत्रक उपक्रम / निगमित संगठन द्वारा काली सूची में रखी गई कंपनी / फर्म बोली के लिए पात्र नहीं होती हैं। यदि बोली प्रक्रिया की किसी अवस्था में या संविदा के जारी रहने के दौरान संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) के ध्यान में ऐसी कोई सूचना आती है तो संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) को यह अधिकार है कि वह बोलीदाता को कोई मुआवजा दिए बिना यथास्थिति ऐसी बोली को रद्द कर सकता है और अग्रिम धन जमा को जब्त कर सकता है या संविदा को समाप्त कर सकता है।

4.17. बोली का समाधान :

क) यदि इस संविदा से उत्पन्न या संबंधित कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है तो इसे संबंधित पक्षकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त चर्चा करके हल

किया जाएगा। लेकिन यदि संयुक्त चर्चा से इस विवाद का समाधान नहीं होता है तो मामला उप महानिदेशक, संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) द्वारा नियुक्त एक मात्र मध्यस्थ को न्याय निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

ख) एक मात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। माध्यस्थम की कार्यवाही पर समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 लागू होगा।

ग) माध्यस्थम की लागत संबंधित पक्षकारों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। माध्यस्थम की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान और संविदा के जारी रहने के दौरान कोई भी पक्षकार ऐसे कार्य / सेवाओं को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा, जिससे माध्यस्थम के कारण विवाद संबंधित है और संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों की अदायगी की जाती रहेगी। माध्यस्थम की कार्यवाही केवल दिल्ली / नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

4.18. न्यायालय का क्षेत्राधिकार :

यदि पक्षकारों के बीच इस करार के कारण विवाद उत्पन्न होते हैं तो ऐसे विवादों के परीक्षण का एक मात्र क्षेत्राधिकार दिल्ली / नई दिल्ली में स्थित न्यायालयों का होगा।

4.19 माध्यकस्थ म

निर्माण, अर्थ और प्रचालन अथवा क्रय आदेश/कार्य आदेश के प्रभाव या उनको भंग किए जाने से या से संबंधित पक्षकारों के बीच होने वाले सभी विवाद या मतभेद उप महानिदेशक संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्व यन मंत्रालय) द्वारा एकमात्र माध्यतस्थ म के लिए भेजकर निपटाए जाएंगे। उनके अनुसरण में किया गया निर्णय दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। माध्यएस्थुम का स्थानन नई दिल्लीर होगा।

4.20 अपरिहार्य घटनाएं

यदि करार जारी रहने के दौरान किसी भी समय इस करार के अधीन किसी भी एक पक्षकार के दायित्व के पूरे या किसी भाग के कार्य-निष्पाषदन में कोई रुकावट आती है या युद्ध, शत्रु का शत्रुतापूर्ण कार्य , नागरिक कृत्यप तोड़फोड़ , आग , बाढ़ , भूकंप , विस्फोनट महामारी, हड़ताल और दैवीकृत संगरोध के कारण विलंब होता है (जिन्हें इसमें इसके बाद संयोग कहा जाएगा), तो ऐसे किसी भी संयोग के होने का नोटिस किसी भी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी घटना घटित होने की तारीख से दो दिन के अंदर दी जाएगी। ऐसे संयोगों के कारण संविदा करार को समाप्तस नहीं किया जा सकता है और न ही कोई एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर कार्य-निष्पापदन न होने या कार्य-निष्पा दन में विलंब होने के

संबंध में कोई दावा नहीं कर सकता है। लेकिन संविदा करार का कार्य-निष्पा)दन ऐसे संयोग की समाप्ति के बाद यथाशीघ्र शुरू किया जाएगा।

4.21 कार्य आदेश सौंपना/कार्य-निष्पाादन

बोलीदाता को क्रय आदेश जारी किए जाने की तारीख से 5 सप्तारह के अंदर नियत स्थागन पर संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वरयन मंत्रालय) में सभी उत्पावदों/उपस्क5रों की आपूर्ति करनी होगी। कार्य स्थजल से तात्पकर्य संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय) के परिसर से होगा , जिसमें उत्पा दों की सुपुर्दगी करनी होगी। यदि उपस्कारों/कार्य में विलंब किया जाता है/निर्धारित अवधि के अंदर उसे पूरा नहीं किया जाता है/सुपुर्दगी नहीं की जाती है तो आदेश के कुल मूल्यध के अधिकतम 5 प्रतिशत तक 0.5 प्रतिशत की दर से संविदा मूल्य प्रभारित किया जाएगा।

पांच सप्ता ह और 10 दिन से अधिक विलंब किए जाने से क्रय आदेश रद्द कर दिया जाएगा, अग्रिम धन जमा जब्तव कर लिया जाएगा और भविष्य में संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वधयन मंत्रालय) के टेंडरों में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। यदि उत्पाोद/उपस्क र तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप न हो, तो उत्पापद/उपस्क5र को रद्द कर दिया जाएगा तथा अग्रिम धन जमा को जब्तब कर लिया जाएगा और आवश्योक सूचना संबंधित प्राधिकारियों को परिचालित कर दी जाएगी , जिसमें एनएसआईसी प्राधिकारी (एनएसआईसी में पंजीकृत बोलीदाताओं के संबंध में) भी शामिल है , भविष्य में संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वकयन मंत्रालय) और अन्यों स के टेंडरों की बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.22 सहायता केंद्र

बोलीदाता या ओईएम के सहायता केंद्र दिल्लीर /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होने चाहिए। बोलीदाता या ओईएम उत्थाापन मेट्रिक्सल भी उपलब्धअ कराए, जिसमें सभी तकनीकी सहायता केंद्रों का नाम, स्था न, पूरा डाक पता, टेलीफोन नंबर और फैक्सन नंबर भी शामिल हैं और बोलीदाता सहित वैकल्पिक संपर्क व्यमक्तियों के विवरण भी दिए जाएंगे। उपर्युक्तल विवरणों में कोई परिवर्तन होने से क्रेता के प्रभारी को आपूर्तिकर्ता द्वारा यथाशीघ्र लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

4.23 करार

सफल बोलीदाताओं को **अनुबंध-ज** के अनुसार करार निष्पायदित करना होगा। यह करार क्रय आदेश की स्वीओकृति के साथ प्रस्तुेत किया जाएगा।

4.24 वारंटी

(i) बोलीदाता पांच वर्ष की अवधि तक के लिए व्याजपक ऑनसाइट वारंटी देगा , जिसमें नि:शुल्को अतिरिक्त पुर्जे किट आदि भी शामिल होंगे। वारंटी अवधि के दौरान उत्पा)द के सभी पुर्जों को गैर-उपभोज्यए समझा जाएगा और विक्रेता ऐसे सभी पुर्जों को बिना अतिरिक्तक लागत के मुहैया कराएगा। व्यावपक ऑनसाइट वारंटी की अवधि मदों के संस्थ्ापन और संचालन की तारीख से शुरू होगी। बोलीदाता ओईएम से इस आशय का वचनपत्र भी प्राप्तऔ करेगा कि वे वारंटी की अवधि समाप्तअ होने के बाद अगले 5 वर्ष तक उल्लिखित उत्पादों के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति करेंगे। बोलीदाता इस आशय की एक वारंटी प्रस्तुपत करेगा कि अतिरिक्ता पुर्जों का उत्पारदन बंद होने से पहले वह उपस्कंरों के क्रेता को समुचित नोटिस देगा ताकि उपस्कजरों का क्रेता हार्डवेयर के शेष जीवनकाल की अपेक्षाओं के लिए खरीद कर सके।

(ii) बोलीदाता वारंटी अवधि के दौरान मदों की आपूर्ति नि:शुल्कक करेगा। ऐसी अवधि के बाद बोलीदाता को ऐसी अवधि के लिए संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वायन मंत्रालय) के साथ एक अनुरक्षण करार निष्पादित करना होगा और यह करार आवश्यतक तथा परस्पलर स्वीसकृति की शर्तों के आधार पर किया जाएगा।

(iii) बोलीदाता अपने पास पर्याप्त अतिरिक्त पुर्जे रखेगा ताकि वारंटी अवधि के दौरान संतोषजनक ऑनसाइट व्या पक अनुरक्षण सेवाएं प्रदान की जा सकें।

4.25 वारंटी के दौरान शिकायतों का निवारण

(i) वारंटी की अवधि के दौरान की जाने वाली शिकायतों पर शिकायत दर्ज करने के 2 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी और उसका 4 घंटे के अंदर निराकरण करना होगा, बशर्ते कि ऐसी शिकायत अपराह्न 4.00 बजे तक की गई हो। यदि अपराह्न 4.00 बजे के बाद शिकायत दर्ज की जाती है तो उसका अगले दिन 12.00 बजे तक अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। फर्म/ओईएम का (के) इंजीनियर मद (मदों) के स्थान पर शिकायत पर कार्रवाई करेगा।

(ii) एक तिमाही के दौरान समग्र प्रणाली अपटाइम 99.5 प्रतिशत होगा , जिसका हिसाब घंटों के आधार पर लगाया जाएगा।

(iii) यदि प्रणाली अपटाइम एक तिमाही में 99.5 प्रतिशत से कम हो तो प्रणाली के डाउन टाइम के संबंध में 5000/- रुपए प्रति घंटा की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। यदि इस दंड की अदायगी नहीं की जाती है तो प्रस्तुटत की गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा से कटौती की जाएगी।

5. कार्य का क्षेत्र

(i) आपूर्ति, संस्थापन, कन्फिग्यूरेशन, विद्यमान सिसको राउटर और सिसको एल3 वितरण स्विच और आपूर्ति की गई मदों का संस्थापन

(ii) 5 वर्षीय व्यापक आनसाईट ओईएम वारंटी

(iii) प्रलेखन : आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित दस्तावेज मुहैया कराएगा-

क. संस्थापन रिपोर्ट

ख. उत्पाद नियम-पुस्तक

ग. प्रयोक्ता नियम-पुस्तक

घ. वारंटी प्रमाण-पत्र

(iv) प्रचालन प्रशिक्षण-2 (2) व्यक्तियों को

6. सामग्री का बिल

क्रम संख्या	मद	मात्रा
1.	सिसको डब्लूएस-सी 2960 24टीसी-एल स्विच और इसका साज-सामान	4
2.	कांच के दरवाजे सहित 19 इंच 6यू 630 एमएम गइराई वाला रैक	2
3.	जैक पैनल	3
4.	पैच पैनल	3
5.	केबल मैनेजर	3
6.	पैच कोर्ड .5एम	96
7.	अद्यतन एबोड एक्रोबेटे (व्यावसायिक)	1
8.	अद्यतन विन-आर	1

7. तकनीकी विशिष्टियां

क्रम संख्या	मद	विशिष्टियां (विशिष्टियां न्यूनतम हैं। ऐसे अद्यतन मॉडल को तरजीह दी जाएगी, जो विद्मान मदों के अनुरूप हो, बशर्ते कि दरें समान हों या कम हों)
1.	एल-2 स्विच	ऐसा सिसको डब्लूएस-सी2960 24 टीसी-एल, जो विद्मान सिसको 2851 राउटर के अनुरूप हो और सिसको कैटालिस्ट 3750 X सीरीजी वितरण स्विच
2.	19 इंच का रैक	19 इंच का रैक- वाल माउंटेड, 530 एमएम गहराई, 12यू ऊंचाई, आगे कांच/वेंटेड द्वार (जिस पर लॉक लगाया जा सके)- यह डीआईएन 41494 एवं आईईसी 297 मानक के अनुरूप होना चाहिए, इसकी भार सहन क्षमता 40 किलोग्राम होनी चाहिए और इसमें निम्नलिखित साज-सामाना होना चाहिए-19 एसी विद्युत वितरण चैनल और 5 तथा 15 एएमपी विद्युत वैश्विक मानक साकेट एवं इस्पाइक सप्रेशर, इक्विपमेंट माउंटिंग स्क्रयू / हार्डवेयर पैकेट्स (2) और 2 पंखे
3.	जैकेट पैनल	औद्योगिक मानक ब्रांड, जो स्विचों के संस्थापन के लिए अपेक्षित है।
4.	पैच पैनल	24 पोर्ट पैच पैनल- पीछे की ओर अंत में 110 आईडीसी टाइप एवं आगे के पैनल पर आरजे 45 जैक, 19 इंच के माउंटेबल रैक, जो सीएटी 6 के ईआईए/टीआईए 568 बी मानक के ओरिएक्सीड के अनुरूप हो, मैटैलिक हाई स्ट्रेंथ एवं आईयू हाईट, जो ईआईए / टीआईए 568 बी वायरिंग पैटर्न के अनुरूप हो, उस पर पहचान के लिए राउटिंग रिंग्स एवं टाई और लेबलिंग पट्टी लगी हो, यूएल लिस्टेड और वैरीफाइड पोर्ट्स ऐसे लगे होने चाहिए, जिन्हें अलग-अलग करके बदला जा सके।
5.	केबल मैनेजर	औद्योगिक मानक ब्रांड, जो स्विचों के संस्थापन के लिए अपेक्षित है।
6.	पैच कॉर्ड .5एम	औद्योगिक मानक ब्रांड, जो स्विचों के संस्थापन के लिए अपेक्षित है।
7.	एबोड एक्रोबेट	अद्यतन एबोड एक्रोबेट (व्यावसायिक)
8.	विन- आर	अद्यतन विन-आर

अनुबंध-क

अनुपालन शीट

क्रम संख्या	मद	विशिष्टियां (विशिष्टियां न्यूनतम हैं। ऐसे अद्यतन मॉडल को तरजीह दी जाएगी, जो विद्यमान मदों के अनुरूप हो, बशर्ते कि दरें समान हों या कम हों)
1.	एल-2 स्विच	ऐसा सिसको डब्लूएस-सी2960 24 टीसी-एल, जो विद्यमान सिसको 2851 राउटर के अनुरूप हो और सिसको कैटालिस्ट 3750 X सीरीजी वितरण स्विच
2.	19 इंच का रैक	19 इंच का रैक- वाल माउंटेड, 530 एमएम गहराई, 12यू ऊंचाई, आगे कांच/वेंटेड द्वार (जिस पर लॉक लगाया जा सके)- यह डीआईएन 41494 एवं आईईसी 297 मानक के अनुरूप होना चाहिए, इसकी भार सहन क्षमता 40 किलोग्राम होनी चाहिए और इसमें निम्नलिखित साज-सामाना होना चाहिए-19 एसी विद्युत वितरण चैनल और 5 तथा 15 एएमपी विद्युत वैश्विक मानक साकेट एवं इस्पाइक सप्रेशर, इक्विपमेंट माउंटिंग स्क्रयू / हार्डवेयर पैकेट्स (2) और 2 पंखे
3.	जैक पैनल	औद्योगिक मानक ब्रांड, जो स्विचों के संस्थापन के लिए अपेक्षित है।
4.	पैच पैनल	24 पोर्ट पैच पैनल- पीछे की ओर अंत में 110 आईडीसी टाइप एवं आगे के पैनल पर आरजे 45 जैक, 19 इंच के माउंटेबल रैक, जो सीएटी 6 के ईआईए/टीआईए 568 बी मानक के ओरिएक्सीड के अनुरूप हो, मैटैलिक हाई स्ट्रेंथ एवं आईयू हाईट, जो ईआईए / टीआईए 568 बी वायरिंग पैटर्न के अनुरूप हो, उस पर पहचान के लिए राउटिंग रिंग्स एवं टाई और लेबलिंग पट्टी लगी हो, यूएल लिस्टेड और वैरीफाइड पोर्ट्स ऐसे लगे होने चाहिए, जिन्हें अलग-अलग करके बदला जा सके।
5.	केबल मैनेजर	औद्योगिक मानक ब्रांड, जो स्विचों के संस्थापन के लिए अपेक्षित है।
6.	पैच कॉर्ड .5 एम	औद्योगिक मानक ब्रांड, जो स्विचों के संस्थापन के लिए अपेक्षित है।
7.	एबोड एक्रोबेट	अद्यतन एबोड एक्रोबेट (व्यावसायिक)
8.	विन- आर	अद्यतन विन-आर

अनुबंध-ख

प्रस्तावित उत्पाद

क्रम संख्या	मद (मदों का नाम)	बोलीदाता द्वारा उल्लिखित मेक / मॉडल	बोलीदाता द्वारा उल्लिखित विशिष्टि	टेंडर विशिष्टि से विचलन, यदि कोई हो
1.	सिसको एल 2 स्विच			
2.	19 इंच का रैक			
3.	जैक पैनल			
4.	पैच पैनल			
5.	केबल मैनेजर			
6.	पैच कॉर्ड .5 एम			
7.	एबोड एक्रोबेट			
8.	विन आर			

अनुबंध-ग

जांच-सूची

क्रम सं.	**विवरण**	**बोलीदाता द्वारा भरा जाएगा**
1.	बोलीदाता एजेंसी का नाम	
2.	एजेंसी के कार्यालय का पूरा पता और कार्यालय टेलीफोन नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और संपर्क व्यबक्ति का नाम	
3.	दिल्ली /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एजेंसी का पता और कार्यालय टेलीफोन नंबर , ई-मेल आईडी , मोबाइल नंबर और संपर्क व्यनक्ति का नाम	
4.	दिल्ली /राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्यालय और सहायता केंद्र होने का दस्ताेवेज़ी साक्ष्य , जहां से बिक्री के बाद सहायता प्रदान की जाएगी।	प्रस्तुकतकिया गया/ प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5.	पिछले 3 वर्ष का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और आय कर विवरणी प्रस्तुवत की जाएगी। यदि पिछले वित्ती य वर्ष अर्थात 2014-15 का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध न हो , तो बोलीदाता द्वारा सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित अनंतिम तुलन-पत्र प्रस्तुात किया जाना चाहिए।	प्रस्तुततकिया गया/ प्रस्तुनत नहीं किया गया ।
6.	अनुभव के सबूत के रूप में क्रय आदेशों की प्रतियां	प्रस्तुंत किया गया/ प्रस्तुनत नहीं किया गया ।
7.	ओईएम से प्राधिकार-पत्र (मूल रूप में) , जिसमें इस बात का उल्लेपख किया गया हो कि बोलीदाता इस मद का प्राधिकृत वितरक है।	प्रस्तुात किया गया/ प्रस्तु त नहीं किया गया ।
8.	ओईएम द्वारा जारी किया गया ऑनसाइट सहायता संबंधी वारंटी प्रमाणपत्र।	प्रस्तुसतकिया गया/ प्रस्तु त नहीं किया गया ।
9.	बिक्री और सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र/ पैन/टीआईएन/टैन/वैट, जो भी लागू हो, की प्रति	प्रस्तुऔकिया गया/ प्रस्तु त नहीं किया गया ।
10.	फर्म/कंपनी के पंजीकरण/निगमन की प्रति	प्रस्तुात की गई/ प्रस्तुरत नहीं की गई

11.	अनुबंध-क के अनुसार विधिवत भरी गई और हस्ताधक्षरित तकनीकी अनुपालन शीट	प्रस्तुसतकी गई/ प्रस्तु त नहीं की गई
12.	अनुबंध-ख के अनुसार विधिवत भरा गया और हस्ताधक्षरित प्रस्ताववित उत्पासद का विवरण	प्रस्तुसतकिया गया/ प्रस्तुहत नहीं किया गया ।
13.	अंतिम तारीख के बाद 180 दिन तक बोली की विधिमान्यीता	अनुपालन किया गया/नहीं किया गया।
14.	अनुबंध-घ के अनुसार विधिवत भरा गया और हस्ताधक्षरित टेंडर स्वीिकृति पत्र।	प्रस्तुत किया गया/ प्रस्तुहत नहीं किया गया ।
15.	उत्पागद का डेटा शीट्र प्रस्तासवित उत्पांदों आदि की विवरणी	प्रस्तुात की गई/ प्रस्तुसत नहीं की गई
17.	अगिन धन जमा की प्रति	प्रस्तु तकी गई/ प्रस्तुसत नहीं की गई
18.	अनुबंध-1 में दिए गए फार्मेट के अनुसार कीमत बोली को अपलोड करना।	अनुपालन किया गया/नहीं किया गया।

अनुबंध- घ

टेंडर स्वीाकृति पत्र (100 रुपए के स्टांीप पेपर पर प्रस्तुदत किया जाएगा)

तारीख :

सेवा में,

उप महानिदेशक ,
कंप्यूनटर सेंटर ,
सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्व यन मंत्रालय ,
पूर्वी ब्लॉथक-10, आर.के. पुरम,
नई दिल्लील-110 066

विषय: संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्व यन मंत्रालय) में CISCO Switch की आपूर्ति तथा संस्थाॉपन के लिए टेंडर दस्ताकवेज़ की शर्तों की स्वीकृति।

संदर्भ: टेंडर संदर्भ सं. और तारीख

महोदय,

1. मैंने/हमने वेबसाइट https//www.eprocure.gov.in/eprocure/app. से उपर्युक्त टेंडर/कार्य के लिए टेंडर दस्ताणवेज (दस्ता वेजों) को डाउनलोड कर लिया है/प्राप्तe कर लिया है।

2. मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने टेंडर दस्तापवेज़ में दी गई सभी शर्तों को पढ़ लिया है, जिनमें कार्य का क्षेत्र, तकनीकी विशिष्टल, सभी अनुबंध/पैराग्राफ आदि शामिल हैं, जो संविदा करार के भाग होंगे और मैं/हम एतदद्वारा इनमें दी गई सभी शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं।

3. आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शुद्धि-पत्र(शुद्धि पत्रों) पर भी स्वी.कृति पत्र प्रस्तुरत करते समय विचार किया गया है।

4. मैं/हम बिना किसी शर्त के, उपर्युक्तय टेंडर दस्ताुवेज़ और शुद्धि-पत्र(शुद्धि पत्रों)जो भी लागू हो, को स्वीबकार करता हूं/करते हैं।

5. यदि इस टेंडर के किसी प्रावधान का उल्लंमघन पाया जाता है तो आपका विभाग/संगठन अन्य. अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपनी इच्छाा से मेरी/हमारी बोली को रद्द कर सकता है, जिसमें अग्रिम धन जमा का जब्तव किया जाना भी शामिल है।

6. मैं/हम इस बात की पुष्टि करता हूं/करते हैं कि मेरी/हमारी बोली , बोली की अंतिम तारीख से 120 दिन तक विधिमान्य् रहेगी।

7. मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि इस पत्र के साथ संलग्नक अनुबंध/पैराग्राफ आदि में दिए गए सभी विवरण और सूचना सही और सत्या है।

8. मैंने/हमने अपनी योग्यहता को दर्शाने के लिए सभी आवश्यपक सूचना और विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं और अब प्रस्तु त करने के लिए हमारे पास कोई अन्यस कोई प्रमुख सूचना नहीं है1

9. मैं/हम भली भांति समझता हूं/समझते हैं कि आप न्यूयनतम या प्राप्तह की गई किसी बोली को स्वीहकार करने के लिए बाध्यझ नहीं हैं।

10. मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं/पुष्टि करता/करते हैं कि मैं/हम बोली दस्ता वेज़ के अनुसार पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा करता हूं/करते हैं।

11. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं और पुष्टि करता हूं/करते हैं कि: (i) हमें किसी केंद्रीय/राज्ये सरकार के विभाग या सरकारी क्षेत्रक उपक्रम द्वारा ब्लै क लिस्टत में नहीं रखा गया या ब्लैरक लिस्टा से नहीं हटाया गया है और पिछले तीन वर्ष के दौरान संविदा सौंपे जाने के बाद किसी भी ग्राहक ने अभी तक हमारे कार्य को समाप्त नहीं किया है ; (ii) किसी भी सेवा को प्रदान के लिए या इस संविदा के कार्यपालन के लिए किसी एजेंट , बिचौलिए या दलाल को काम पर नहीं लगाया जाएगा। हम नियोक्ता् के अधिकारों को स्वीरकार करते हैं और यदि हमारे टेंडर में घोषित कोई गई किसी बात के प्रतिकूल कोई तथ्यं पाया जाता है या हम अपने टेंडर का अनुपालन नहीं करते हैं , तो हमें सौंपी गई संविदा निरस्ता कर दी जाएगी।

12. मैं/हम बिना किसी शर्त के टेंडर दस्ता वेज़ (दस्ताैवेज़ों)/शुद्धि-पत्र(शुद्धि पत्रों) में उल्लिखित उपर्युक्ते शर्तों को पूर्णत: और शब्दसश: स्वीाकार करता हूं/ करते हैं।

13. यदि ऐसा पाया जाता है कि इस टेंडर के किसी प्रावधान का उल्लं घन किया गया है तो आपका विभाग/संगठन किसी अन्ये अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस टेंडर/बोली को रद्द कर सकता है, जिसमें पूर्णत: उक्तल अग्रिम धन जमा को जब्त करना भी शामिल है।

बोलीदाता के हस्ताकक्षर और सील

नाम और पता ....

अनुबंध- ड.

ओ ई एम प्रमाण पत्र

सेवा में,

उप महानिदेशक ,
कंप्यूनटर सेंटर (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्व यन मंत्रालय) ,
पूर्वी ब्लॉकक-1,0आर.के. पुरम,
नई दिल्लील-110 066

विषय: आपूर्ति, संस्थािपन,वारंटी, सेवाओं के लिए ओईएम का प्राधिकार।

महोदय,

मैं/हम .... (ओईएम) , जिनका पंजीकृत कार्यालय...................................... (ओईएमका पता) , ... (उल्लिखित मदों का नाम) का/के स्था.पित विनिर्माता हूं/हैं।

2. मैं/हम .... (ओईएम का नाम) , ... (निविदादाताओं के प्राधिकृत भागीदार का नाम) को पूर्णत: प्राधिकृत करते हैं कि वह उपर्युक्त. टेंडर के हमारे द्वारा उल्लिखित उत्पादद की आपूर्ति संस्था.पन और वारंटी सहायता कर सकता है।

3. मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्ता प्राधिकृत भागीदार ओईएम के प्राधिकृत भागीदारों के संबंध में परिभाषित इस टेंडर की तकनीकी रूप से अपेक्षित टेंडर पात्रता पूरी करता है। **मैंने/हमने अपने प्राधिकृत भागीदारों के साथ यह करार भी निष्पाादित किया है** कि वे हमारी ओर से इस टेंडर के संबंध में आपूर्ति, संस्थाापन और वारंटी सहायता प्रदान करेंगे।

4. हम , अपने उत्पाादों की आपूर्ति<u>ऑनसाइट वारंटी</u> और अनुरक्षण के लिए सब प्रकार की पूरी सहायता प्रदान करेंगे, मैं/हम यह भी सुनिश्चित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सेवा संबंधी सहायता भी प्रदान करूंगा/करेंगे। इस सहायता में उपर्युक्तत टेंडर की शर्तों के अधीन**पांच** वर्ष की और अवधि तक उसके अतिरिक्ते पुर्जों की आपूर्ति भी शामिल है।

5. यदि हमारे प्राधिकृत भागीदार यथा .... (प्राधिकृत भागीदार का नाम) द्वारा इस टेंडर के निष्पादन में कोई चूक की जाती है , तो मैसर्स.. (ओईएम) स्वयं या **अन्य. प्राधिकृत भागीदार** के माध्यसम से संविदा/ वारंटी/ अनुरक्षण/ सेवा सहायता के सफल निष्पासदन की जिम्मे दारी लेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम और पदनाम : ....

टिप्पंरणी :यह प्राधिकार-पत्र विनिर्माता के पत्र-शीर्ष पर होना चाहिए और इस पर ओईएम के विधि प्रमुख या मानव संसाधन प्रमुख या कंपनी सचिव द्वारा हस्ता क्षर किए जाने चाहिए। इसे बोली के साथ संलग्नम किया जाए। यदि उपर्युक्त् फार्मेट में कोई आशोधन किया जाता है उसे स्वीभकार नहीं किया जाएगा।

अनुबंध-च

अग्रिम धन जमा का अग्रेषण-पत्र

सेवा में,

उप महानिदेशक ,

कंप्यूनटर सेंटर ,

सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वतयन मंत्रालय़

पूर्वी ब्लॉथक-1,0आर.के. पुरम,

नई दिल्लील-110 066

विषय: अग्रिम धन जमा।

संदर्भ: टेंडर दस्ताेवेज़ सं. डी.21013/2/2015-सीसी, दिनांक 23 नवम्बसर2015

महोदय,

हम , मैसर्स .... ने **"संगणक केंद्र (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वरयन मंत्रालय) में SICSO Switch की आपूर्ति और संस्थाकपन संबंधी टेंडर"** के बोली दस्तारवेज़ और संशोधनों को पढ़ लिया है और उनकी जांच कर ली है।

हम , मैसर्स .... एतदद्वारा मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में .... रुपए (केवल .... रुपए) का अग्रिम धन जमा प्रस्तु.त कर रहे हैं। इसके विवरण इस प्रकार हैं:

क. जारीकर्ता बैंक का नाम :

ख. मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक :

ग. रकम :

घ. तारीख :

हम, मैसर्स .... ने .... अग्रिम धन जमा जब्तध करने संबंधी उप संख्यार .... को पढ़ लिया है और भली-भांति समझ लिया है।

आपका,

बोलीदाता के हस्ताक्षर और सील

अनुबंध-छ

वारंटी कार्य-निष्पाकदन प्रतिपूति के लिए बैंक गारंटी का फार्म

(भारत के स्टां्प अधिनियम के अनुसार स्टांप लगाई जाएगी)

1. यह गारंटी विलेख आज दिनांक............. को एक पक्षकार .... (बैंक का नाम) (जिसे इसमें इसके बाद ''बैंक'' कहा जाएगा) और दूसरा पक्षकार........................ (विभाग का नाम) (जिसे इसमें इसके बाद ''विभाग'' कहा जाएगा) के बीच निष्पा.दित किया गया है।

2. चूंकि .... (विभाग का नाम) ने मैसर्स .... (ठेकेदार का नाम) (जिसे इसमें इसके बाद ''ठेकेदार'' कहा जाएगा) को .... रुपए (केवल .... रुपए) की प्रतिभूति सेवा की संविदा सौंपी है (रकम का उल्ले.ख अंकों और शब्दों. में किया जाएगा)।

3. और चूंकि उक्तो संविदा द्वारा ठेकेदार को इस बात के लिए आबद्ध किया जाता है कि वह नियोक्ताऔ का कुल .... रुपए (केवल कार्य-निष्पा दन प्रतिभूति प्रस्तुकत करेगा (रकम का उल्लेतख अंकों और शब्दों. में किया जाएगा)।

4. अब हम , अधोहस्तांक्षरी .... (बैंक का नाम) के कार्मिकों को............................... (बैंक का पूरा नाम) के लिए और की ओर से और के नाम में हस्ताकक्षर करने और दायित्व. लेने के लिए पूर्णत: प्राधिकृत किए जाने के कारण , हम एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त. बैंक.................... रुपए (केवल .... रुपए) की पूरी रकम की विभाग को गारंटी देगा (रकम का उल्ले.ख अंकों और शब्दों. में किया जाएगा)।

5. ठेकेदार द्वारा उस विभाग के साथ उपर्युक्त संविदा पर हस्ता्क्षर कर दिए जाने के बाद उस तारीख तक कोई रकम और उपर्युक्तक बिना बिलम्बं शुल्कव पूर्ण रकम सहित यह रकम विभाग को अदा करता है। इस रकम की अदायगी विभाग के इस लिखित आदेश पर की जाएगी कि वह ठेकेदार के किसी दोष या कमी के परिणामत: हुई क्षति या उपर्युक्तक संविदा के अधीन कार्य में लगे किसी पक्षकार के ऋण पर खर्च की गई रकम की किसी देयता के कारण हुई हो, भले ही ये दोष या कमी या ऋण वास्तीविक हों या अनुमानित या संभावित हों। बैंक विभाग द्वारा अपेक्षित धनराशि मांग किए जाने पर बिना विलंब और बिलंब शुल्कब के तत्काषल अदा करेगा। इस संबंध में यह ठेकेदार से कोई पत्राचार नहीं करेगा और इसके लिए उसे कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया जाएगा या इससे न्यांयिक या प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसमें बैंक को यह सबूत देना भी आवश्य क

नहीं होगा कि ठेकेदार के दोष या कमी या ऋण के परिणामत: यह देयता या क्षति हुई है। बैंक द्वारा विभाग को ऐसी रकम की अदायगी की जाएगी, जिसकी इस प्रकार मांग की गई हो, भले ही ठेकेदार ने इसके संबंध में किसी ऐसे वाद या कार्यवाही में कोई विवाद/कई विवाद उठाए हों , जो किसी न्या यालय, न्या ोयाधिकरण या मध्यउस्थब (मध्य.स्थों.) के समक्ष लंबित है और इस गारंटी के अधीन देयता संपूर्ण और स्पसष्ट, होगी।

6. यह गारंटी हस्ताठक्षर किए जाने की तारीख से .... माह की अवधि तक विधिमान्यह रहेगी (इस गारंटी की प्रारंभिक अवधि की विधिमान्य.ता संविदा की अवधि समाप्तन होने की संभावित तारीख से कम से कम तीन माह अधिक होगी।

7. इस गारंटी की विधिमान्यत अवधि के दौरान किसी भी समय यदि विभाग ठेकेदार को समय की बढ़ोतरी की मंजूरी देना स्वीतकार कर लेता है या यदि ठेकेदार संविदा में उल्लिखित अवधि के अंदर कार्य पूरा नहीं कर पाता है या उपर्युक्त पैरा 5 के अधीन उल्लिखित देयता या क्षति या ऋण का उन्मो चन नहीं कर पाता है तो यह समझा जाता है कि बैंक उन्हीं् शर्तों पर इस गारंटी की अवधि को विभाग द्वारा मांग किए जाने पर या ठेकेदार की लागत पर इसकी अवधि बढ़ा सकता है।

8. इस गारंटी में जैसा पहले बताया गया है, बैंक की या ठेकेदार की किसी जिम्मेंदारी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

9. किसी धन की अदायगी के प्रवर्तन में विभाग की लापरवाही या उपेक्षा करने पर , जिसकी अदायगी इसके द्वारा प्रतिभूत की गई है या यहां अदायगी के लिए विभाग द्वारा दिए गए समय से बैंक इस विलेख के अधीन अपनी किसी देयता से मुक्ते नहीं होगा।

10. ''विभाग'', ''बैंक'' और ''ठेकेदार'' शब्दप़ जिनका यहां इससे पहले प्रयोग किया गया है , में उनका उत्तंराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होगा।

इसके साक्ष्यठ के रूप में मैने/हमने बैंक के कार्मिक , जिन्हेंज इसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है, आज दिनांक .... को इस गारंटी पर हस्तासक्षर कर दिए हैं और सील लगा दी है।

.... बैंक
के लिए और की ओर से
बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ता.क्षर और नाम:
पदनाम :
आईडी संख्या‍ :
बैंक की मुहर/सील

उपर्युक्तु व्यीक्ति द्वारा बैंक के लिए और बैंक की ओर से निम्नइलिखित के सामने हस्तारक्षरऔ किए गए, सील लगाई गई और सुपुर्द की गई:

गवाह सं. 1 गवाह सं. 2
हस्तासक्षर .... हस्ताऔक्षर ....

अनुबंध-ज

संविदा करार का फार्मेट

यह करार विलेख आज दिनांक .... को संगणक केंद्र , सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय, भारत सरकार, जिसका कार्यालय पूर्वी ब्लॉिक-10, आर.के. पुरम, नई दिल्लीे में है, जिसका प्रतिनिधित्व. उप महानिदेशक कर रहे हैं (जिसे इसमें इसके बाद क्रेता कहा जाएगा , जिस शब्दव में उनके उत्तनरवर्ती और समनुदेशिती भी शामिल होंगे) एक पक्षकार

और

...., जिसका कार्यालय ....में है (जिन्हेंह इसमें इसके बाद आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा , जिस शब्द में उनके उत्तपरवर्ती और समनुदेशिती भी होंगे) अन्यत पक्षकार

के बीच

तैयार किया गया है और निष्पा दित किया गया है।

चूंकि क्रेता, विज्ञापित टेंडर पूछताछ सं. डी-21013/1/2015 -सीसी के माध्यअम से ब्लेंड सर्वर, इसके सहायक यंत्र और सॉफ्टवेयर (जिन्हें इसमें इसके बाद सामग्री कहा जाएगा) खरीदना चाहता है।

और चूंकि इस प्रयोजन के लिए **क्रेता** ने विज्ञापित टेंडर पूछताछ के अनुसार आपूर्तिकता को बोली प्रस्तांव के आधार पर उन्हेंन संविदा सौंपने के लिए **आपूर्तिकर्ता** चुना है।

और चूंकि **आपूर्तिकर्ता** ने विज्ञापित टेंडर पूछताछ में पूर्णत: वर्णित कार्य के लिए **क्रेता** के साथ करार निष्पा दित करने की इच्छाव व्येक्तछ की है।

अब इस करार विलेख में निम्न लिखित शर्तों का उल्ले्ख किया गया है:

1. विज्ञापित टेंडर पूछताछ सं. डी-21013/1/2015-सीसी दिनांक 23 नवम्बेर , 2015 उसके संशोधनों/स्पंष्टीतकरण सहित और फर्म संपूर्ण विषय वस्तु को और फर्म के प्रस्ता2व दिनांक........... को इस संविदा का अभिन्नस भाग समझा जाएगा।
2. कि विज्ञापित टेंडर और पूछताछ में अधिक विशिष्टत रूप में उल्लिखित सामग्री की आपूर्तिकर्ता द्वारा संगणक केंद्र, सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्व्यन मंत्रालय, ईस्टत ब्लॉ क-10, आर.के. पुरम, नई दिल्लीा-110066 पर आपूर्ति की जाएगी।
3. कि **क्रेता** को यह अधिकार है कि वह किसी उचित आधार या आधारों पर सुपुर्दगी के अपने विनिर्दिष्टा स्थाकनों को बदल सकता है और **आपूर्तिकर्ता** उस नए स्थाीनपर सामग्री की

सुपुर्दगी करने के लिए जिम्मोदार होगा। नए स्थाउन पर सुपुर्दगी संबंधी परिवहन लागत दोनों पक्षकारों द्वारा तय की जाएगी।

4. कि सामग्री की गुणवत्ता् और यात्रा **क्रेता** द्वारा दी गई विशिष्टप तथा **आपूर्तिकर्ता** द्वारा प्रस्तुोत किए गए प्रस्ता्व और **क्रेता** द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार होगी।

5. कि क्रेता को यह अधिकार है कि यदि वह आवश्यक समझे , तो करार की विधिमान्यन अवधि के दौरान मदों की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है।

6. कि **आपूर्तिकर्ता**, **क्रेता** की लिखित सहमति के बिना इस संविदा में उसके किसी भाग को समनुदेशित या उप किरायेदारी पर नहीं देगा अथवा आपूर्ति के किसी भाग के निष्पासदन के लिए किसी व्य क्ति/कंपनी के साथ कोई करार नहीं करेगा। इस संबंध में क्रेता द्वारा सहमति दिए जाने पर भी **आपूर्तिकर्ता** इस करार की पूरी और संपूर्ण जिम्मेधदारी से मुक्तम नहीं होगा।

7. उनके अर्थात **आपूर्तिकर्ता** के कारण लगी चोट या दुर्घटना के परिणामत:देय सभी दावों , क्षतियों, प्रतिपूर्ति या व्यकय के संबंध में **क्रेता** की क्षतिपूर्ति करेगा।

8. कि यदि माल की सुपुर्दगी के संबंध में सीमाशुल्कध , वैट या अन्यक करों और परिवहन की लागतया अन्यय प्रासंगकि प्रभार अपेक्षित हों तो उन्हें **आपूर्तिकर्ता** द्वारा वहन किया जाएगा।

9. कि **क्रेता** द्वारा विज्ञापित टेंडर पूछताछ में निर्धारित शर्तों के अनुसार .... रुपए (केवल .... रुपए) की अदायगी की जाएगी।

10. कि कोई **आपूर्तिकर्ता** कार्य के निष्पा.दन या करार की शर्तों के निष्पाीदन में कोई लापरवाही बरतता है या उसे नहीं कर पाता है और करार की शर्तों का निष्ठा. से पालन नहीं करता है या उनका उल्लंसघन करता है तो क्रेता इस करार को रद्द करने और क्षति की मांग करने का हकदार होगा।

11. कि यदि **आपूर्तिकर्ता** स्वीसकृत अनुसूची के अनुसार सामग्री की सुपुर्दगी नहीं कर पाता है तो **क्रेता** द्वारा विज्ञापित टेंडर पूछताछ के उपयुक्तत खंडों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

12. कि इस करार की शर्तों पर देश का कानून अर्थात भारतीय कानून लागू होगा।

13. कि यदि यहां उल्लिखित पक्षकारों के बीच इस करार के संबंध में या के अधीन कोई विवाद पैदा होता है तो उस मामले को उप महानिदेशक , संगणक केंद्र (सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्व यन मंत्रालय) द्वारा नियुक्तग एकमात्र मध्यंस्था को भेजा जाएगा। मध्यतस्थी ,

माध्य स्थ म और सुलह अधिनियम1996 और सुलह का स्थाकन दिल्ली होगा। सभी विवाद केवल दिल्लीय के न्या यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंएगे।

14. यह करार तत्काील लागू होगा और कार्य के अंतिम रूप से पूरा होने अथवा **क्रेता** द्वारा रद्द नहीं किए जाने तक विधिमान्य रहेगा।

आपूर्तिकर्ता और क्रेता के लिए और की ओर से नीचे दिए गए अनुसार दिनांक...................... को हस्तातक्षरित

आपूर्तिकर्ता क्रेता

1.. 1..

2.. 2..

3.. 3..

गवाह गवाह

1.. 1..

2.. 2..

(कृपया प्रत्ये.क पृष्ठ. पर हस्ता.क्षर करें)

अनुबंध-झ

वाणिज्यिक बोली का फार्मेट

सेवा में,

उप महानिदेशक,
कंप्यूनटर सेंटर ,
सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्व.यन मंत्रालय ,
पूर्वी ब्लॉथक-1,0 आर.के. पुरम,
नई दिल्लील-110 066

महोदय,

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने मदों की आपूर्ति संबंधी टेंडर दस्ता.वेज की विस्तृ त शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है और मैं/हम उनका पालन करूंगा/करेंगे। इस संबंध में दरें इस प्रकार हैं:

क्रम सं.	मद (अनुबंध-क में दी गई विशिष्टि के अनुसार)	मात्रा	बोलीदाता द्वारा उल्लिखित मेक और मॉडल	किसी कर के बिना प्रति यूनिट दर (रुपए में)	किसी कर के बिना कुल रकम (रुपए में)	कर (रुपए में)	कर सहित कुल रकम (रुपए में)
1.	Cisco WS- C2960 24TC-L Switch अथवा सिस्कों एल 3 डिस्ट्रीव्यूलसन स्वि च तथा मौजूदा सिस्कोि राउटर के साथ बैहतर कमपेटिबल	4					
2.	19 Inch Racks	2					
3.	Jack Panel	3					
4.	Patch Panel	3					
5.	Cable Manager	3					
6.	Patch Cord. 5m	96					
7.	Acrobat (Prof.)	1					
8.	Win-R	1					

कुल लागत (भारत रुपए में) ....

शब्दोंग में .... रुपए

फर्म के प्राधिकृत हस्तापक्षरकर्ता के हस्ता2क्षर

नाम और पता तथा सील

बोलियों के ई-प्रस्तुरतीकरण के संबंध में बोलीदाताओं को विशेष अनुदेश

1. बोलीदाता को चाहिए कि वह उपलब्धा विकल्पं का उपयोग करते हुए टेंडर साइट https//eprocure.gov.in में स्व यं को पंजीकृत कराएं। इसके पश्चा त साइट में लॉग इन करने के बाद ई-टोकन सहित डिजिटल हस्तावक्षर पंजीकृत करवाने होंगे। ई-टोकन एमटीएनएल/एसआईएफवाई/टीसीएस/एनकोड/ई-मुद्रा जैसे प्राधिक़त प्रमाणन प्राधिकारियों में से किसी से प्राप्ति करना होगा।

2. इसके पश्चाेत बोलीदाता पंजीकरण के दौरान चयनित यूजर आईडी/पासवर्ड का उल्लेरख करके साइट थ्रो में लॉग इन करेगा।

3. पंजीकृत ई-टोकन का उपयोग बोलीदाता द्वारा किया जाना चाहिए और किसी अन्यड द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

4. बोलीदाता प्रमाणपत्र, क्रय आदेश के विवरण आदि 'माई डाक्यू मेंट' विकल्पृ के अधीन काफी पहले अद्यतन कर सकता है और इनका चयन टेंडर की अपेक्षाओं के अनुसार किया जा सकता है और इसके बाद इसे बोली प्रस्तुेत करने के दौरान बोली दस्तासवेजों के साथ भेजा जा सकता है।

5. टेंडर अनुसूचियां डाउनलोड करने और प्राप्तक करने के बाद बोलीदाता उन्हेंे ध्या'न से पढ़ेगा और उसके पश्चा त यथापेक्षित दस्तानवेज़ प्रस्तुकत करेगा अन्य था बोली रद्द कर दी जाएगी।

6. यदि कोई स्प ष्टीतकरण होतो टेंडर साइट ऑनलाइन थ्रो या थ्रो पर संपर्क करने के बाद इसे प्राप्त किया जा सकता है। बोलीदाता को ऑनलाइन बोली प्रस्तुलत करने से पहले प्रकाशित किए गए को भी ध्याान में रखना चाहिए।

7. बोलीदाता अग्रिम रूप से उन बोली दस्ता वेज़ों को तैयार रखेगा , जो उसे प्रस्तुत करने हैं , जैसाकि टेंडर अनुसूची में उल्ले ख किया गया है और वे पीडीएफ/एक्से,ल/ आरएआर/ डीडब्यूटएफ फार्मेट में होने चाहिए। यदि एक से अधिक दस्तागवेज़ ,होंतो उन्हें आपस में मिलाया जा सकता है।

8. बोलीदाता को चाहिए कि वह टेंडर में विनिर्दिष्टस अग्रिम धन जमा को तैयार रखे। इसकी मूल प्रति टेंडर के लिए टेंडर प्रस्तुवत करने के लिए नियत तारीख और समय के अंदर टेंडर आमंत्रण करने वाले प्राधिकारी को डाक से/कूरियर से या व्यिक्तगत रूप से प्रस्तुडत करनी चाहिए।

9. बोलीदाता टेंडर की शर्तों को पढ़े , उन्हेंय स्वीयकार करे और तब बोली प्रस्तु त करने के लिए आगे बढ़े।

10. बोलीदाता को टेंडर दस्ता वेज़ निर्धारित तारीख से काफी पहले प्रस्तुकत करने होंगे ताकि प्रस्तुसतीकरण की प्रक्रिया के दौरान कोई विलंब या समस्याा न आए।

11. बोली प्रस्तुत करने के बाद ई-टेंडरिंग तंत्र द्वारा दी गई पावति संख्याक को बोलीदाता द्वारा मुद्रित किया जाना चाहिए और टेंडर विशेष के संबंध में ऑनलाइन बोली प्रस्तुात करने के साक्ष्य के रूप में रिकार्ड में रखा जाना चाहिए।

12. विभाग को वास्तेविक रूप से प्रस्तुात किए गए अग्रिम धन जमा के दस्ताकवेज़ का विवरण और ऑनलाइन बोली प्रस्तुात करते समय प्रस्तुत स्कैगन की गई प्रति एकसमान होनी चाहिए अन्यनथा टेंडर को तत्कारल रद्द कर दिया जाएगा।

13. बोलीदाताओं द्वारा ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुदत करने के दौरान हुए किसी विलंब या झेली गई कठिनाई के लिए टेंडर आमंत्रण प्राधिकारी (टीआईए) को जिम्मे दार नहीं ठहराया जाएगा।

14. बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुतत किए गए बोली दस्ता वेज़ में कोई वायरस नहीं है और यदि वायरस के कारण टेंडर खोलते समय दस्तारवेज़ नहीं खुल पाया , तो बोली रद्द कर दी जाएगी।

15. सर्वर साइट पर तय किया गया और ई-टेंडर तंत्र में टेंडर साइट के सबसे ऊपर दर्शाया गया समय सभी कार्रवाइयों के लिए विधिमान्या होगा, जिनमें अनुरोध, बोली प्रस्तुरत करना, बोली खोलना आदि भी शामिल है।

16. बोलीदाताओं द्वारा दर्ज किए जा रहे सभी डेटा इनक्रिप्टिड हो जाएंगे , ऐसा पीकेआई इनक्रिप्श न तकनीक का प्रयोग करके किया जा सकता है ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। दर्ज किया गया डेटा बोली प्रस्तु त करने के दौरान अनधिकृत व्यिक्तियों नहीं देखा जा सकेगा और किसी अन्य द्वारा भी तब तक नहीं देखा जा सकेगा, जब तक बोली के खोलने का समय नहीं आ जाता है। कुल मिलाकर, प्रस्तु त किए गए टेंडर दस्ता वेज़ प्राधिकृत व्यआक्ति द्वारा टेंडर खोले जाने केबाद ही पढ़े जा सकेंगे

17. बोली की गोपनीयता बनाए रखी जाती है , चूंकि सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बाइट इनक्रिप्शीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। संवेदनशील क्षेत्र के डेटा स्टोरेज का इनक्रिप्शीन किया जाता है।

18. बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे टीआईए को ई-टेंडर तंत्र के माध्यटम से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय से काफी समय पहले प्रस्तुत करे (सर्वर तंत्र क्लॉक के अनुसार)।

19. बोलीदाता सबसे ऊपर दाहिने कोने पर उपलब्धस सामान्ये लॉग आउट विकल्पर का प्रयोग करते हुए टेंडर तंत्र को लॉग आउट करेगा न कि ब्रोशर में दिए गए (एक्स) विकल्प का चयन करके।

20. यदि बोलीदाता हाथ से बोली प्रस्तु3त करता है तो उसे टेंडर साइट पर पहले ही पंजीकृत होना चाहिए और उसे प्रस्तुहत की गई बोली में आईडी पंजीकरण की सूचना देनी होगी अन्य था उसके टेंडर पर विचार नहीं किया जाएगा।

अन्य पूछताछ के लिए बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे मेल cppp-nic@nic.in के माध्यचम से संपर्क करें।